

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 2-समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद्, उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 05 फरवरी, 2014

विषय : राज्य सेक्टर के अन्तर्गत क्रियान्वित आदर्श नगर योजना, नगरीय जल निकासी योजना तथा नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर विकास विभाग द्वारा अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ राज्य सेक्टर के अन्तर्गत आदर्श नगर योजना, नगरीय जल निकासी योजना तथा नगरीय सड़क सुधार योजना का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा निकायों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष धनराशि निर्गत की जा रही है। विभिन्न निकायों द्वारा सन्दर्भित योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष तथा आगामी किश्तों हेतु शासन को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण-पत्र मानक के अनुरूप नहीं होते हैं। इससे निकायों को सन्दर्भित योजनाओं के अन्तर्गत आगामी किश्तें अवमुक्त किये जाने में कठिनाई होती है। अतः इस सम्बन्ध में एक प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिस पर सन्दर्भित योजनाओं में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित योजनाओं के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष तथा आगामी किश्तों के अवमुक्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
05/02/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-579 (1)/नौ-5-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को अपने अधीनस्थ समस्त निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 3- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 4- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगा सेल
- 5- कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-579/नौ-5-2014-32सा/2014 दिनांक 05 फरवरी, 2014 का संलग्नक

प्रारूप

पत्रांक.....

कार्यालय का नाम-.....

दिनांक-.....

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि	व्यय का प्रतिशत	(धनराशि लाख रुपए में)	
							भौतिक प्रगति का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि सन्दर्भित योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य शासनादेश की शर्तों के अनुसार कराये गये हैं तथा इसमें विचलन नहीं किया गया है।

निकाय के अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मोहर

मुख्य/अधिशासी/सहायक/अवर अभियन्ता तकनीकी अधिकारी हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर एवं मोहर
(जैसी भी स्थिति हो तथा जो निकाय में कार्य कराये जाने के लिए उत्तरदायी हों)

नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/सक्षम अधिकारी हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर एवं मोहर

नोट :

निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा पूर्व की भाँति उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।